छठी अनुसूची

[धारा 141(1) और धारा 142(1) देखिए]

क्रम सं0	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 324(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 [14/96, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 23 जुलाई, 1996] द्वारा यथा प्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द का उपनियम (5)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(5) पूंजी माल की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क का प्रत्यय, पूंजी माल के मूल्य के उस भाग की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो ऐसे माल पर शुल्क की रकम के लिए है, जिसका विनिर्माता आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अधीन अवक्षयण के रूप में दावा करता है ।" ।	23 जुलाई, 1996
2.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 [6/97, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 1997] द्वारा यथा अंतःस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द का उपनियम (8)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द के उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :— "(8) पूंजी माल की बाबत विनिर्दिष्ट शुल्क का प्रत्यय पूंजी माल के मूल्य के उस भाग की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो ऐसे माल पर शुल्क की रकम के लिए है, जिसका विनिर्माता आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अधीन अवक्षयण के रूप में दावा करता है ।" ।	1 मार्च, 1997
3.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 [6/97, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 1997] द्वारा यथा प्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57च का उपनियम (12)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57च के उपनियम (12) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] और 33/99- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए ही किया जाएगा ।"।	8 जुलाई, 1999
4.	अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 203(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 [11/2000, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2000] द्वारा यथाप्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कख के उपनियम (1) का खंड (ख)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कख के उपनियम (1) के खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 [सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999] के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त अधिसूचना सं0 32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 और 33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999 के अधीन छूट का उपभोग करने के पश्चात् निकासी किए गए अंतिम उत्पादों पर शुल्क के संदाय के लिए ही किया जाएगा ।"।	1 अप्रैल, 2000